

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

पण :-

बनाम

अप्रार्थीगण :

- | | |
|---|--|
| 1. मोहनसिंह पुत्र स्व. श्री मूलसिंह | 1. स्व. गिरधारीलाल के विधिक वारिसान |
| 2. लालसिंह पुत्र स्व. श्री खीमसिंह | 1.1 नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल |
| 3. लादुसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह | 1.2 दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल |
| 4. अरविन्दसिंह पुत्र मगसिंह | 1.3 चन्द्राकंवर पत्नी स्व. श्री गिरधारीलाल |
| 5. भगवानसिंह पुत्र कीकसिंह | समस्त जातिगण राजपुरोहित निवासीगण |
| 6. मूलसिंह पुत्र धुलसिंह समस्त जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पराखिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. | 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत नेतरा, तह. सुमेरपुर जिला पाली राज. |

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 139/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/315)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जा इस हुकम की तामिल न जारी हुये
------------	---------------------------------	---

11-03-2024

पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.04.2024 को पेश हों।

नोटिस आगंक कोर्ट/24/432 दिनांक 15/3/2024 जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

22/4/24

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल/भयम तामिल पुनः लोटे नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट बल्लभार लेकर दिनांक 20/5/24 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

20/5/24

पत्रावली उल्टा ही जारी/आपसी अनुपस्थित आवाक रिटर्न करी पत्रावली का अकलिकत किया। जारी आवाक उल्टा में फेरकी लगी की जा रही है। उल्टा 2011 से चल रहा है। अभी तक तमली में ही है। अतः उल्टा निगरानी अरक फेरकी अरक हाजरी खारीक किया जाता है। पत्रावली फेरक शुभार लेकर तमबर के कर है।

20/5/24
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली